प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक 28.05.2024

जनपद अम्बेडकरनगर थाना सम्मनपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 98/2024 धारा- 304/323/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र रामसिंह 2. सीता पत्नी प्रहलाद निवासी गण ग्राम सिकरोहर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

घटना के बारे में उल्लेखनीय है कि- दिनांक-27.05.2024 को थाना सम्मनपुर पर वादी राजाराम पुत्र स्व0 ठाकुरदीन निवासी सिकरोहर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि समय करीब 09.00 बजे सुबह वाही के गाँव के ही सुनील पुत्र राम सिंह व सीता पत्नी प्रहलाद ने वादी का हरा आम का पेंड़ काट रहे थे वादी के मना करने पर वादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे जिसमें वादी की पत्नी को ज्यादा चोट आयी जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही थी। आज दिनांक 28.05.2024 को वादी उपरोक्त की पत्नी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त से तरमीम मु0अ0सं0- 98/2024 धारा- 304/323/504 भादवि सें सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना सम्मनपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-28.05.2024 को अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र रामसिंह 2. सीता पत्नी प्रहलाद निवासीगण ग्राम सिकरोहर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर को दिनांक 28.05.2024 को समय 14.30 बजे अभियुक्त सुनील के घर के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया है।

विवरण नाम पता अभियुक्तगण-

1. सुनील पुत्र रामसिंह उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम सिकरोहर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर

2. सीता पत्नी प्रहलाद उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सिकरोहर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 98/2024 धारा- 304/323/504 भादवि थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक- 28.05.24 समय- 14.00 बजे स्थान – ग्राम सिकरोहर से

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप
2. हे0का0 अमित सिंह
3. हे0का0 विवेक यादव
4. म0आ0 रीना चौहान